International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 109-113

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीडन को रोकने में शिक्षा सम्बन्धी योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन

अनिल कुमार कालोरिया*

प्रस्तावना

विश्व के अनेक समाजों की ही भांति भारतीय समाज में भी अनेक संस्कृति क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के समूह और समुदाय निवास करते हैं। भारतीय समाज चूँकि एक बहुल धर्मी समाज है। अतः इसमें अनेक धार्मिक समूह भी समाहित है। इन विभिन्न प्रकार के समूह और समुदायों में स्त्री और पुरुष के संबंधों के संदर्भ में विभिन्नता है। किंतु स्त्री और पुरुषों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संस्तरण में पुरुषों की उच्चता लगभग सर्वव्यापी है। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पुरानी भारतीय परम्पराओं में एक हजार वर्ष से अधिक समय से निरंतर होने वाले इस्लामी और ब्रिटिश आक्रमणों ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों, परम्पराओं और मूल्यों को क्षतिग्रस्त किया है। भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के संदर्भ में पुरुषों की उच्चता को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययनों के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता रहा है जबकि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे परम्परागत मूल्य और मानदण्डों का उल्लेख पुराणों और उपनिषदों में प्राप्त होता है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में पुरूषों का प्रभुत्व सार्वकालिक नहीं रहा है।

भगवान की अप्रतिम देन नारी शक्ति, श्रद्धा व सम्मान की प्रतीक होते हुए भी आज व्यवहारिक रूप में पराश्रित कुंठित व शोषण की प्रतीक हो गई है। यद्यपि प्राचीनकाल में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार एवं शिक्षा का अवसर प्राप्त था, परन्तु मध्यकाल में प्राचीन भारतीय संस्कृति में पूज्या एवं आदरणीया मानी जाने वाली नारी को मात्र घर गृहस्वी के कार्यों में ही दक्ष माना जाने लगा, जिससे न केवल अपने शैक्षणिक स्तर में वरन् बदलते हुए सामाजिक परिवेश में भी वह नई–नई जकडबंदियों में फंसकर लगातार जुल्मों का ही शिकार बनी है। स्त्रियों ने पुरूषों का दासत्व स्वीकार कर लिया।

हिंसा दमन और अत्याचार के विशिष्ट सन्दर्भ में इस युग की स्थिति का जब–जब अंतिमविश्लेषण होता है, हर बार यही काला सच सामने उभर कर आता है। गत सालों में अभूतपूर्व आर्थिक, राजनैतिक उन्नति के बावजूद सामाजिक सुरक्षा के मामले में आज भी अधिकांशतः औरतें, मध्ययुगीन औरतों की भाँति दबी सहमी व असुरक्षित हालात में जी रही हैं।

घर में अथवा घर के बाहर महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा की प्रवृत्ति के कारगर ढंग से पिटने के लिए यह परम आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में न केवल मौजूदा लचर कानूनों को सुदृढ़ और कठोर बनाया जाये और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक शिक्षा अभियान चलाया जाये। अपितु महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी बनाकर स्त्री और पुरुष के बीच व्याप्त असमानताओं को दूर किया जाये।

* सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद, राजस्थान।

साहित्य का पुनरावलोकन

जादौन, चित्रा (2017) महिला सशक्तिकरण राज्य महिला आयोग की भूमिका में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि महिला सशक्तिकरण में राज्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बार में जागरूक करने में राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर राज्य अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सम्पन्न करे तो महिला शोषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

महरोत्रा, ममता (2017) ने अपनी पुस्तक महिला अधिकार और मानव अधिकार में कहा कि महिलाओं को भारतवर्ष में कानून प्रदत्त तमाम अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को घरेलू मामलों संबंधी जायदाद संबंधी, कार्यक्षेत्र संबंधी, व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी, पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी संबंधी और भी तमाम सरकारी कानून प्राप्त है, लेकिन परिवार व रिश्तों को संजोने–संवारने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाली आम महिला आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। महिला अधिकार और मानव अधिकार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सृजित की गई है।

शर्मा, योगेन्द्र (2018) ने श्महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा नामक पुस्तक में कहा कि महिलाओं की संख्या विश्व की जनसंख्या से लगभग आधी है उनके उन्नयन के बिना परिवार, समाज व राष्ट्र की प्रगति सम्भव नहीं है। महिलायें आज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को उजागर कर रही है. जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख है। इसके बावजूद भी उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों में विगत की तुलना में वृद्धि हुई है। यद्यपि नये और कठोर कानून भी बने है लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक चेतना के अभाव में सशक्तिकरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है।

कुमारी, अरुणा (2018) ने रिसर्चलाइन में प्रकाशित अपने लेख महिलाओं में अनिवार्य शिक्षा और सशक्तिकरण में लिखा है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है जब तक इन्हें शिक्षा कार्यक्रमों से संबंद्ध नहीं किया जाता है तब तक उनके चहुँमुखी विकास की सम्भावनाएँ न्यून ही रहेगी। वर्तमान परिवेश में शिक्षा की अनिवार्यता महत्त्वपूर्ण हो गयी है। जब महिला पूर्ण साक्षर होगी तभी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगी। इसलिए महिला को केवल साक्षर होना आवश्यक नहीं है बल्कि उसके बौद्धिक विकास की भी आवश्यकता है।

चौधरी अनीता (2019) ने श्महिला कानूनश नामक पुस्तक मे संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान किये गये समस्त अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में यह बताने का प्रयास किया कि महिलाओं पर होने वाले शोषण एवं हिंसा का एक प्रमुख कारण उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना है।

द्विवेदी आरती (2019) ने 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार नामक कृति के माध्यम से सदियों से पीड़ित, शोषित, असहाय, दुर्बल, एवं उत्पीडित भारतीय नारी के उत्थान, विकास हेतु कठोर कानून व्यवस्था की बात की। महिलाओं को अत्याचार, अनाचार, हिंसा, शोषण एवं उत्पीडन से मुक्ति दिलाने एवं उसे दबे बुझे हुए, रोते हुए, चेहरे पर से उत्पीडन की परत हटाकर उसे आनंदमय, उल्लासपूर्ण, स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने हेतु उसे अपने स्वयं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया है।

सुजाता (2019) ने स्त्री निर्मिति नामक कृति में पिछले कुछ वर्षों में घटित घटनाओं के स्त्रीवादी विवेचन के साथ–साथ स्त्रीवाद, स्त्रीवादी आन्दोलनों, इसके भारतीय सन्दर्भों तथा स्त्रीवादी विमर्श को विश्लेषित किया है। इस पुस्तक में एक ओर जहाँ लेखिका ने पश्चिमी स्त्रीवादी विमर्श से लेकर भारतीय विमर्श तक को विश्लेषित किया है इसके साथ ही स्त्री जीवन में पितृसत्ता के जितने घात–प्रतिघात अपने वीभत्स रूपों में स्त्री के मन और देह दोनों को हताहत करते है इसकी शिनाख्त भी यहाँ मौजूद है।

तालिका क्रमांक 1: महिलाओं के उत्पीडन को या हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है संबंधी विवरण

क्र.सं.	महिलाओं के उत्पीडन को या हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है	महिलाओं के उत्पीडन को या हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है	
		संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करके	116	42.02
2.	महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित करके	53	19.20
3.	महिलाओं को निःशुल्क संवैधानिक सुविधा देकर	67	24.27
4.	पुरूषों को महिलाओं के प्रति उदार एवं विनम्र बनाकर	40	14.49
योग		276	100

समाज में हो रही महिला उत्पीडन को अथवा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के विभिन्न तरीके इन तरीकों के लिए शोधार्थी ने एक तालिका के माध्यम से उत्तर दाताओं से उनके विचार प्रस्तुत किए हैं इस संबंध में कुल 276 उत्तर दाताओं मैं से अधिकतर उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 116(42.02 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं को निशुल्क संवैधानिक सुविधा देकर महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 67 (24.27 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 53 (19.20 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि पुरुषों को महिलाओं के प्रति उदार एवं विनम्र बना करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 40 (14.49 प्रतिशत) है ।

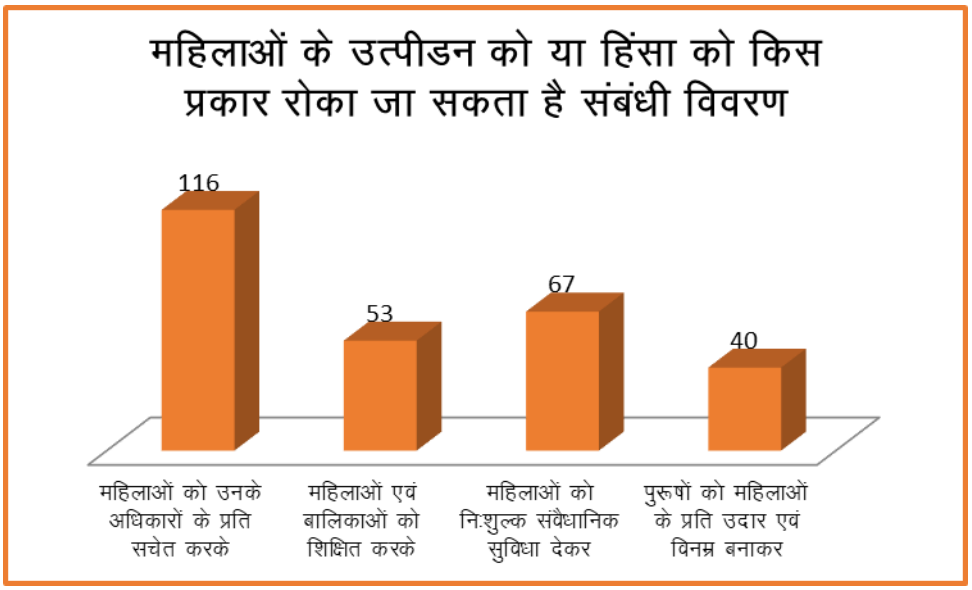

समाज में हो रही महिला उत्पीडन को अथवा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के विभिन्न तरीके इन तरीकों के लिए शोधार्थी ने एक तालिका के माध्यम से उत्तर दाताओं से उनके विचार प्रस्तुत किए हैं इस संबंध में कुल 276 उत्तर दाताओं मैं से अधिकतर उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 116(42.02 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं को निशुल्क संवैधानिक सुविधा देकर महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 67 (24.27 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को

रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 53 (19.20 प्रतिशत) है उत्तर दाता यह मानती है कि पुरुषों को महिलाओं के प्रति उदार एवं विनम्र बना करके महिलाओं के उत्पीडन या हिंसा को रोका जा सकता है ऐसे उत्तर दाताओं की संख्या 40 (14.49 प्रतिशत) है ।

अध्ययन पर आधारित सुझाव

नारी की समस्याएँ बहुत गहराई से भारतीय सामाजिक संरचना से जुडी हुई है। पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान समाज में जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक नारी की प्रस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जैसे संविधान में लिंगों के बीच पूर्ण – समता की घोषणा हिन्दुओं में नारी को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना, हिन्दुओं में तलाक या विवाह विच्छेद के बाद भरण–पोषण को वैधानिक करना, नारी को गोद लेने का अधिकार दिया जाना, अनैतिक व्यापार दमन कानून का पारित किया जाना, हाई स्कूल तक नारी की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था किया जाना, दहेज नियंत्रण कानून का पारित किया जाना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करना आदि।

परन्तु उपर्युक्त सभी कानून संसद के पुस्तकालय में पवित्र दस्तावेज के रूप में सजे हुए दिखाई पडते हैं क्योंकि इनका क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं किया गया। जब तक शक्तिशाली जनाधार तैयार नहीं किया जाएगा तब तक नारी की प्रस्थिति का ऊपर नहीं उठाया जा सकता।

संकलित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत है–

- सैद्धांतिक रूप में ही नही बल्कि व्यावहारिक रूप में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- धार्मिक कट्टरता एवं रूढिवादिता के कारण महिलाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो सके।
- नारी शिक्षा न केवल अनिवार्य की जाए वरन् निर्धन परिवारों की कन्याओं को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाए।
- नारी छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केन्द्र भी हो तो और भी अच्छा है।
- नारी शिक्षा का उद्देश्य नारी को आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर बनाना होना चाहिए। नारियों में अधिक से अधिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आरक्षण की नीति अपनानी चाहिए नारियों को वे सब सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो पिछडे वर्गों या अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मिल रही है।
- संवैधानिक अधिनियमों के लिए समय–समय पर प्रचार–प्रसार द्वारा लोगों को जागरूक बनाकर सैद्धांतिक की जगह व्यावहारिक बनाना चाहिए। सिर्फ किताबों में ही लिखकर नहीं रखना चाहिए उसे अमल में भी लाना चाहिए।
- लिंग–भेदभाव प्रतीकात्मक स्तर पर गहराई से अस्तित्व रखता है। इसके अनेक उदाहरण है विवाहित नारी के लिए सिन्दूर चूडियाँ, बिछुए एवं मंगलसूत्र की अनिवार्यता विवाहित नारियों का पति और पुत्र के लिए व्रत रखने की अनिवार्यता आदि। इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए और इन सामंतवादी या आदिकालीन अवशेषों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- नारियों को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उसके संगठनों को सहायता दी जानी चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को जो सक्षम नहीं है को पति व ससुराल वालों से राहत राशि देने का कडा प्रावधान होना चाहिए। यह राशि न्यायालय के माध्यम से प्रति माह दी जानी चाहिए।

- अधिकांश विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार होती है और इस बात को स्वयं तक सीमित रखती है। इसके लिए महिलाओं में अपने प्रति हो रही घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता लाकर उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रेरित किया जाए तथा इसके लिए आवश्यक है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का सख्ती से पालन हो ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर, एस.एस. (1996) द पोजिशन ऑफ वूमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारसीदास पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर.
2. एण्डरसन, सी.ए. (1961) श्ए स्पेशल नोट ऑन द रिलेशन ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी टू एजूकेशन अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, टवस. स्टप्
3. अंसारी, एम.ए. (2000) राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जायपुर.
4. अन्सारी, एम.ए. (2000) महिला और मानवाधिकार, पंचशील प्रकाशन जयपुर
5. अन्सारी, एम.ए. (1999) नारी चेतना और अपराध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर,
6. अरोडा, सुभाष चन्द्र (2002) चूमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया, इण्डिया जर्नल पालिटिक्स. आहूजा, राम एवं मुकेश आहूजा (2008) रू विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर.
7. आहूजा, राम (1987) क्राइम अगेंस्ट वुमैन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
8. आहूजा राम (2010) सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर,
9. आहूजा, राम (1996) यूथ एण्ड क्राइम, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1996
10. अरोडा, सुधा (2009) आम औरत रू जिंदा सवाल, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली.
11. आहूजा राम (1987) क्राइम अगेन्स्ट वूमैन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, विडोज–रोल एडजेस्टमेंट एण्ड वॉयलेन्स, विश्व प्रकाशन, दिल्ली, 1996
12. आहूजा मुकेश(1971) पैटर्न इन फोर्सिबल रेप, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो,.

❖◆❖